

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड  
जिला-बडवानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 310 / 2014  
संस्थित दिनांक 08.05.2014

म0प्र0 आबकारी विभाग वृत्त अंजड,  
जिला-बडवानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

सुभाष पिता मांगीलाल,आयु 30 वर्ष,  
निवासी-ग्राम कापलीपुरा,थाना अंजड,  
जिला-बडवानी (म.प्र.)

-----अभियुक्त

---

राज्य तर्फे एडीपीओ                      - श्री अकरम मंसूरी ।  
अभियुक्त तर्फे अभिभाषक -            श्री आर0के0श्रीवास अधि0 ।

---

// निर्णय //

(आज दिनांक 27.02.2018 को घोषित)

1. अभियुक्त सुभाष पिता मांगीलाल पर म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि, उसने दिनांक 23.01.2014 को समय शाम 05:30 बजे,स्थान-ग्राम कापलीपुरा में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक जरी केन में 08 लीटर हाथ भट्टी मदिरा रखे हुये पाया गया ।
2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है ।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि घटना दिनांक 23.01.2014 को गस्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर समयाभाव में बिना तलाशी

वारंट के ग्राम कापलीपुरा के रिहायसी मकान पर उपस्थित हुआ अपनी जामा तलाशी व स्टाफ की जामा तलाशी उसको देने के पश्चात् उसके मकान की विधिवत् तलाशी लेने पर अभियोज पत्र के कॉलम नं० 4 में वर्णित सामग्री बरामद की जिसकी विधिवत् जांच करने पर हाथ भट्टी मदिरा होना पाया। मदिरा का मापन साथ मौजूद किट से करने पर 08 लीटर होना पाया। उक्त मदिरा को अवैध रूप से अपने कब्जे में रख कर अभियुक्त ने म०प्र० आबकारी अधिनियम 1925 की धारा 34(1)(क) का अपराध किया। उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान, ने उसकी जामा तलाशी अभियुक्त को देकर अभियुक्त सुभाष से 08 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त सुभाष को गिरफ्तार कर का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया, तत्पश्चात् आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ के अपराध क्रमांक 482/2014 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 23.01.2014 को दोपहर 05:30 बजे ग्राम कापलीपुरा में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक जरी केन में 08 लीटर हाथ भट्टी मदिरा रखी? यदि हाँ, तो उचित दंडाज्ञा?

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में जगदीश (अ.सा.1), आबकारी उपनिरीक्षक नफीस खान (अ.सा.2), एवं इरफान अली (अ.सा.3) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

7. सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि, जप्त शुदा दृव्य मदिरा की श्रेणी में आने वाला पदार्थ है। इस संबंध में विचार करने पर आबकारी उप निरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.2) ने अपने कथन में यह बताया है कि, उसने जरी केन में लगभग 8 लीटर तरल पदार्थ भरा हुआ मिला था। जिसका भौतिक, यांत्रिकी एवं

रासायनिक परीक्षण किया था। जिसमें परीक्षण करने पर हाथ भट्टी मदिरा होना पाया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि, शराब का प्रथक से परीक्षण किये जाने की तेजी आदि की मात्रा नहीं लिखी है, स्वतः कहा कि, विधिवत् जांच की थी।

8. बचाव पक्ष की ओर से मदिरा के संबंध में कोई चुनौती पूर्ण प्रतिपरीक्षण नहीं किया है। साक्षी नफीस एहमद खान(अ.सा.2) एक वरिष्ठ आबकारी उप निरीक्षक है। जिन्हें शराब की जांच का अनुभव प्राप्त है। प्रत्येक दृव्य का रासायनिक परीक्षण किया जाना भी आवश्यक नहीं है। मदिरा के संबंध में आबकारी उप निरीक्षक जो कि, विशेषज्ञ भी है, के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत श्रीचंद बतरा विरुद्ध स्टैट ऑफ यू0पी0, ए0आई0आर0 1974 एस0सी0 639 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, एक आबकारी निरीक्षक जिसमें उसके सेवा काल में कई शराब के नमूनों की जांच की होती है, व शराब जांच के बारे में धारा 45 साक्ष्य अधिनियम 1872 के अर्थों में विशेषज्ञ साक्षी होता है।

9. इस संबंध में न्यायदृष्टांत सुखलाल विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1995 सी0आर0एल0जे0 1234, कालु खान विरुद्ध स्टैट ऑफ एम0पी0, 1980 जे0एल0जे0 508, रामदयाल विरुद्ध स्टैट ऑफ एम0पी0 1987 जे0एल0जे0 131, सुनिल तिवारी विरुद्ध म0प्र0 राज्य, 2009 (1) एम0पी0डब्ल्यू0 एम0 60 भी अवलोकनीय है जिसमें सारतः यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, यदि आबकारी निरीक्षक ने शराब की भौतिक जांच करके प्रतिवेदन दिया है तो वह पर्याप्त हैं।

10. अतः उपरोक्त विवेचना व न्यायदृष्टांत के आलोक में अभियोजन ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि, जप्तशुदा दृव्य मदिरा की श्रेणी में आने वाला पदार्थ है।

11. अब यह विचार किया जाना है कि, क्या जप्तशुदा मदिरा अभियुक्त के ज्ञानयुक्त आधिपत्य से बरामद की गयी है। इस संबंध में विचार करने पर साक्षी नफीस खान (अ.सा.2) ने अपने कथन में बताया है कि, वह दिनांक 23.01.2014 को आबकारी वृत्त अंजड पर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। वह, स्टॉप व फोर्स के साथ गस्त पर था तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि, ग्राम कापलीपुरा में अभियुक्त सुभाष के रिहासी मकान में अवैध हाथ भट्टी की मदिरा रखी हुई है। सूचना पर विश्वास कर वह फोर्स के साथ ग्राम कापलीपुरा में अभियुक्त सुभाष के रिहायसी मकान पर गया था तथा उसने साक्षीगण जगदीश को मौके से तथा इरफान को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया था, व साक्षियों को साथ लेकर सुभाष के मकान के सामने खड़े होकर

आवाज दी थी, तब अभियुक्त सुभाष बाहर आया था। उसने अभियुक्त के घर की तलाशी लेने का बोला था। उसने अपनी जामा तलाशी के संबंध में प्र०पी० 1 का पंचनामा बनाया था। जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. साक्षी नफीस एहमद खान (अ.सा.2) के द्वारा अभियुक्त सुभाष के मकान की तलाशी ली थी, तब अभियुक्त के आधिपत्य के मकान के अंदर से उसके कब्जे में एक जरी/प्लास्टिक केन में लगभग 8 लीटर तरल पदार्थ भरा हुआ मिला था जिसका उसने भौतिक, यांत्रिकी एवं रासायनिक परीक्षण किया था। जिसमें उक्त तरल पदार्थ हाथ भट्टी मदिरा होना पाया था। उसने मौके से ही उक्त प्लास्टिक की 8 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा भरी हुई केन को साक्षियों के समक्ष जप्त की गयी थी। उसके द्वारा मौके से अवैध मदिरा भरी हुई प्लास्टिक की केन जप्त की गई थी वह आर्टिकल ए है। जिस पर उसने जप्ती चीट चस्पा की थी जो प्र० पी० 5 है। उसके द्वारा अभियुक्त सुभाष को मौके से ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 3 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. हमराह साक्षी इरफान अली (अ.सा.3) जो कि, आबकारी आरक्षक है। जिसे जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 का भी साक्षी बनाया गया है। उक्त साक्षी ने आबकारी उप निरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.2) के कथनों का ही समर्थन किया है। यद्यपि स्वतंत्र साक्षी जगदीश (अ.सा.1) ने जप्ती का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, और उक्त साक्षी ने अभियोजन कहानी के विपरित कथन किये हैं।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, स्वतंत्र साक्ष्य के द्वारा जप्ती का समर्थन नहीं किया गया है, एवं जप्ती का अन्य साक्षी इरफान अली (अ.सा.2) स्वयं आबकारी आरक्षक होने से उसे स्वतंत्र साक्षी की संज्ञा नहीं दी जा सकती है।

15. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि, मकान में से शराब जप्त किया जाना बताया गया है, किन्तु कोई सर्च वारंट नहीं दिया गया है, और ना ही कोई मेमोरेण्डम बनाया गया। मकान की मालकियत के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस कारण अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र है।

16. इसके विपरित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध प्रमाणित किया है।

17. परस्पर विरोधी तर्कों के प्रकाश में साक्षीगणों के कथनों का समग्र परिशीलन करने पर यह सही है कि, स्वतंत्र साक्षी के द्वारा जप्ती का समर्थन नहीं किया है। जप्ती का अन्य साक्षी आबकारी आरक्षक है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि, लोक सेवक के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, अपितु यह देखा जाना आवश्यक है कि, लोक सेवक के कथन में विरोधाभास, लोभ एवं शंका से ग्रसित तो नहीं हैं।

18. अभियोजन के अनुसार आरोपी के मकान से शराब बरामद किया जाना बताया है। मकान में प्रवेश करने के पूर्व कोई सर्च वारंट नहीं लिया गया है। यद्यपि सर्च वारंट भी लिया जाना आवश्यक नहीं है, किन्तु सर्च वारंट नहीं लिये जाने के कारणों का मेमोरेण्डम अवश्य तैयार किया जाना चाहिये। जिसका कि, प्रस्तुत प्रकरण में अभाव है।

19. जिस मकान से मदिरा जप्त किया जाना बताया गया है। उसकी मालकीयत के संबंध में भी कोई प्रमाण अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः जिस स्थान से मदिरा बरामद की गयी है। वह अभियुक्त का ही मकान था। यह अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है।

20. अतः जप्ती की कार्यवाही संदेहस्पद होने से अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र हो गया है।

21. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा एक केन में हाथ भट्टी मदिरा कुल 08 लीटर अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

20. आरोपी द्वारा अभिरक्षा में कोई भी अवधि व्यतित नहीं की गयी है। अतः धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र निरंक बनाया जावे। जो निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / —

सही / —

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
अंजड़, जिला बडवानी म0प्र0

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
अंजड़, जिला बडवानी म0प्र0



